भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 57

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फसल बीमा योजनाओं में नामांकन

57. श्री टी.एन. प्रथापनः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल सहित विभिन्न राज्यों में आज की तिथि के अनुसार फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में नामांकित किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों के नामांकन में गिरावट को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2016-17 और 2017-18 के राजकोषीय वर्षों में बीमा कंपनियों ने 15,975 करोड़ रु. का मार्जिन (प्रीमियम में से भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति को घटा कर) अर्जित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि बीमा योजना की वर्तमान संरचना बीमा कंपनियों को राजकोष से लाभ कमाने का अनुचित फायदा देती है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर नियंत्रण लगाने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी तरह से कल्याणकारी योजना बनाने के लिए तैयार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>फसल बीमा योजनाओं में नामांकन से संबंधित लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 57 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण</u>

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2018-19 के दौरान नामित किसान आवेदकों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर प्रस्तुत है।

(ख): प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण किसानों को फसल का नुकसान होने पर वित्तीय सहायता देने, अगली फसल के लिए उन्हें वित्तीय ऋण प्रवाह सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को पैदा करने वाले ऋणी किसानों के लिए स्कीम को अनिवार्य कर दिया गया है। यह स्कीम गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है तथापि, किसान संगठनों और राज्यों आदि सहित विभिन्न हितकारकों से यह अनुरोध/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि इस स्कीम को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक/वैकल्पिक बना दिया जाए। फसल बीमा स्कीमों में संशोधन/सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है तथा विभिन्न हितधारकों से परामर्श प्राप्त करने के बाद समय समय पर सुझावों/प्रतिवेदनों से संबंधित निर्णयों को अमली रूप दिया जाता है।

(ग): फसल बीमा स्कीमों के बारे में किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयोजनार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाने सहित प्रचार अभियान/जागरूकता कार्यक्रमों को संचालित किए जाने के लिए सभी हितधारकों विशेष रूप से राज्यों और बीमा कंपनियों की सक्रिय प्रतिभागिता सहित कई पहलें की गई हैं। बीमा कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम के लिए स्वयं द्वारा एकत्र किए गए सकल प्रीमियम की 0.5 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करें। जागरूकता सृजन संबंधी अन्य कार्यकलापों में प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन के जरिए स्कीमों की विशेषता और लाभों से संबंधित प्रचार-प्रसार कार्य दृश्य श्रव्य मीडिया के जरिए प्रसारण, स्थानीय भाषाओं में इश्तेहारों का वितरण, कृषि मेलों प्रदर्शनियों/गोष्ठियों में प्रतिभागिता, किसान पोर्टल/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के जरिए एसएमएस का प्रेषण, राज्य पदाधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और किसानों के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षण का आयोजन शामिल है। चूंकि, फसल बीमा गैर-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है इसलिए सामान्य जन सेवा केंद्रों (सीएससी) और ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बैंकों और बीमा मध्यस्थों जैसी पारंपरिक पद्धतियों के अलावा संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय कर दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण स्वैच्छिक प्रतिभागिता वाले गैर-ऋणी किसानों से संबंधित पूर्ववर्ती स्कीमों के मुकाबले कवरेज 5 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है जिससे स्वैच्छिक आधार पर स्कीम की स्वीकार्यता का पता चलता है।

कुछ राज्यों द्वारा ऋण माफी स्कीमों की घोषणा करने और बीमा सुरक्षा और दोहरा बीमा सुरक्षा से बचने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के कारण दूसरे वर्ष के दौरान पीएमएफबीवाई से कवरेज में कमी आई है। तथापि, सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रयास किए जाने के कारण 2018-19 के दौरान बीमा कवरेज बढ़ी है।

(घ): जी, नहीं। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि जितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा की जाती है और जितनी राशि दावे के रूप में भुगतान की जाती है उसके बीच के अंतर कंपनियों का कुल लाभ नहीं है। पुनर्बीमांकन और प्रशासनिक खर्च की राशि, जो कुल मिलाकर सकल प्रीमियम के 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बराबर होती है, उसे भी बीमा कंपनियां वहन करती हैं।

(ङ.): जी नहीं। बीमा कंपनियों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। न्यूनतम प्रीमियम दर (एल-1) देने वाली कंपनी को स्कीम के कार्यान्वयन हेतु चुन लिया जाता है। स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में बीमा कंपनियों सहित प्रमुख हितधारकों के लिए विभिन्न पाबंदियां और नियम प्रतिपादित किए गए हैं ताकि कोई भी स्कीम का गलत फायदा न उठा सके। दावों में विलंब करने/उनका निपटारा न करने के लिए बीमा कंपनियों पर अर्थदंड व्यवस्था लागू करके इन पाबंदियों और नियमों को और सुदृढ़ किया गया है। बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु रबी मौसम 2018-19 से कार्यान्वित संशोधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों को डी-इम्पेंनल करने सहित विभिन्न दंडात्मक कार्रवाईयों की भी परिकल्पना की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध
लो.स.ता.प्र.सं.57

2018-19 (रबी और खरीफ मौसम) के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत नामित किसान आवेदकों का विवरण

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामित किसान आवेदकों की संख्या		
		ऋणी किसान	गैर-ऋणी किसान	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	617	103	720
2	आंध्र प्रदेश	1,675,076	82,796	1,757,872
3	असम	30,903	37,246	68,149
4	छत्तीसगढ़	1,342,132	229,037	1,571,169
5	गोवा	341	3	344
6	गुजरात	2,151,370	7,807	2,159,177
7	हरियाणा	1,404,667	61,029	1,465,696
8	हिमाचल प्रदेश	260,453	9,552	270,005
9	जम्मू और कश्मीर	153,951	2,688	156,639
10	झारखंड	204,578	1,090,174	1,294,752
11	कर्नाटक	890,988	1,118,775	2,009,763
12	केरल	47,550	9,616	57,166
13	मध्य प्रदेश	6,638,919	408,884	7,047,803
14	महाराष्ट्र	1,750,966	12,363,349	14,114,315
15	मणिपुर	1,315	137	1,452
16	मेघालय	693	-	693
17	ओडिशा	1,787,654	288,608	2,076,262
18	पुडुचेरी	887	9,859	10,746
19	राजस्थान	6,612,860	21,086	6,633,946
20	सिक्किम	210	31	241
21	तमिलनाडु	947,395	1,098,404	2,045,799
22	तेलंगाना	680,785	96,088	776,873
23	त्रिपुरा	65	2,049	2,114
24	उत्तर प्रदेश	5,767,021	216,126	5,983,147
25	उत्तराखंड	160,686	30,763	191,449
26	पश्चिम बंगाल	2,996,417	2,609,114	5,605,531
	सकल योग	**35,508,499**	**19,793,324**	**55,301,823**

******